

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनसठ'

[1/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 1356]

परिशिष्ट-1

विषय:- अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1356 विषयक ।

आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	भवनों का प्रकार	आवास पाने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यरत संस्था का पता	निवास में रहने की अवधि
1	नया एच-1	नरेन्द्र सोलंकी सहा० शिक्षक, शा.प्रायो. प्रा.वि. बीजलपुर	07 वर्ष
2	एच-2	श्री सुनील देशपाण्डेय सहा० जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र इंदौर	02 माह
3	एच-3	श्रीमती तारामणी टोप्पो व्या० डाइट बीजलपुर	06 माह
4	पुराना एच-1	श्रीमती राजकुमारी सिलावट व्या० डाइट बीजलपुर	15 वर्ष
5	एच-2	श्रीमती वर्षा मुकादम, व्या० डाइट बीजलपुर	06 वर्ष
6	एच-3	रिक्त	
7	एच-4	श्री संजय दुबे सहा ग्रेड-3 डाइट बीजलपुर	06 वर्ष
8	एच-5	श्रीमती अंतिम सिंघई अध्यापक शा.बा. संयोगितागंज इंदौर	12 वर्ष
9	एच-6	श्री के.के.आर्य, सहा० अध्यापक शा.प्रा.वि.मार्तण्ड नगर,	07 वर्ष
10	एच-7	श्रीमती अनिता भिमगडे, अधिकांक डाइट बीजलपुर	5 वर्ष
11	एच-8	श्रीमती नीता भोगे, अध्यापक शा.मा.वि. सिंदौडी इंदौर	6 माह
12	एच-9	श्री राजेश पावडे सहा० ग्रेड-3 डाइट बीजलपुर	04 वर्ष
13	नया एफ	श्री विमल कुमार वैष्णव सांख्यिकीय अधिकारी निलंबित	06 वर्ष
14	पुराना ई	महिला छात्रावास	07 वर्ष
15	आई-01	श्री गंगाराम राठौर, भृत्य डाइट बीजलपुर	25 वर्ष
16	आई-02	श्री मोहन राठौर, भृत्य डाइट बीजलपुर	25 वर्ष
17	आई-03	श्री विजयराम भगत जनशिक्षक रालामंडल	03 वर्ष
18	आई-04, 05, 06, 07	जीर्ण-शीर्ण अवस्था में	
19	जी-1	श्रीमती अन्विता शास्त्री सहा० ग्रेड-2 डाइट बीजलपुर	09 वर्ष
20	जी-2	श्रीमती बिन्दु शर्मा, व्या० डाइट बीजलपुर	02 वर्ष
21	जी-3	श्री अर्जुनसिंह पंवार व्या० डाइट बीजलपुर	11 वर्ष

Section Officer,
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Department,
Mentalsaya, Bhopal

परिशिष्ट-2

91

5

कार्यालय संचालक, मध्य प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
शांति शिक्षा महाविद्यालय, परितर, बैरसिया रोड,

भोपाल-462015

क्रमांक/18393-93-94/451

भोपाल, दिनांक: 4.8.93

प्रति,

- 1/ प्राचार्य,
शांति शिक्षा महाविद्यालय, समस्त।
- 2/ प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।
- 3/ प्राचार्य,
शांति बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।

विषय:- प्रशिक्षण संस्थाओं के अधीन आवास-गृहों का आवंटन ।

== 00: ==

परिषद के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के अधीन आवास-गृहों के आवंटन आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था की जाए -

1. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य अपने अधीन आवास-गृहों का आवंटन केवल अपने स्थापना में कार्यरत स्टाफ को ही करेंगे ।
2. परिकल्पना तय होने के आवास गृहों के लिए वनों का आवंटन किया जायेगा । किन्तु प्राचार्य, वार्डन, चौकीदार के लिए निर्मित क्वार्टर संबंधित को दिए जायेंगे ।
3. आवास गृह आवंटन का आधार केवल निर्धारित वेतन के अनुसार पात्रता ही नहीं माना जाए । आवास गृहों की उपलब्धता एवं आवेदकों की संख्या आदि के आधार पर पात्रता से एक श्रेणी नीचे का आवास गृह भी आवंटित किया जा सकता है ।
4. नियमानुसार निर्धारित किराया संबंधित के वेतन से काटा जायेगा ।
5. स्थानान्तर, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि की दशा में आवास-गृह रिक्त कराने की नियमानुसार कार्रवाई प्राचार्य द्वारा की जायेगी ।
6. यदि प्राचार्य आदि के लिए निर्मित आवास गृह रिक्त हों तो उन्हें अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य पत्र व्यवस्थाओं को इस शर्त पर आवंटित किया जा सकेगा कि आवश्यकता होने पर संबंधित द्वारा तत्काल रिक्त कर दिया जायेगा ।

नियम

अ. जे. को. प्र. प्र.

4/8/93

संचालक

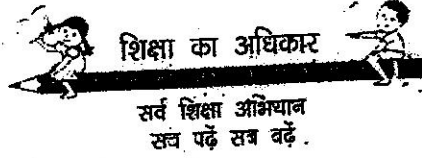
Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Department,
Bhopal

मध्य प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
भोपाल

परिशिष्ट-2 (अ)

97

119



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./राशिके/शि.शि./आवास/2014/350
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04-11-14

✓ कलेक्टर
समस्त जिले
(म.प्र.)

विषय:- संस्थान के आवास आवंटन के संबंध में।

केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा योजनान्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया गया है। उन्नयन के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के मुख्य भवन, आवास एवं छात्रावास केन्द्र की वित्तीय सहायता से निर्मित किये गये हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों, आवास एवं छात्रावास का उपयोग संस्थान के हित में ही किया जाना है।

आवास गृहों के आवंटन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जाता है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवास गृहों का आवंटन प्राथमिकता से प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को पात्रतानुसार किया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ जिनके आवास गृह रिक्त हैं एवं इनके लिए संस्थान में कोई दावेदार न हो तो आवास गृह प्राथमिकता के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान एवं, स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवारत अधिकारी/कर्मचारी को ही आवंटित किए जा सकेंगे।

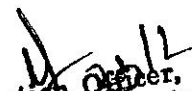
उक्तानुसार संस्था प्रमुख, आवास गृहों का सशर्त आवंटन करने के लिए अधिकृत रहेंगे।


(रश्मि अरुण शमी)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल
भोपाल, दिनांक.....

पृ.क्र./राशिके/शि.शि./आवास/2014/
प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आईसीटी कक्ष की ओर एजुकेशन पोर्टल पर Upload करने हेतु।


आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल


Section Officer,
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Department,
Mantralaya, Bhopal